कार्यालय अलीगढ़ विकास प्राधिकरण, अलीगढ़

पत्रांक : 673 /नियो0वि0/ए0डी0ए0/2014–15 दिनाँक 25 फरवरी, 2015

नगर आयुक्त,
नगर निगम, अलीगढ़।

विषय :– मानचित्र संख्या–860/15 (14–15) के सम्बन्ध में।

उपरोक्त विषयक आपके द्वारा प्रस्तुत मानचित्र पर अनुमोदन दिनाँक–25–02–15 को इस शर्त के साथ दिया गया है कि मानचित्र में निम्न शुल्कों तथा शर्तों को 15 दिन में पूर्ण करें:–

क्रमांक	मदो के नाम	धनराशि (रूप्ये में)
1.	वाह्य विकास शुल्क	39,78,000.00
2.	उपविभाजन शुल्क	3,97,800.00
3.	एफ0ए0आर0 शुल्क	2,22,70,680.00
4.	निरीक्षण शुल्क	3,35,611.00
5.	लेवर सेस शुल्क	24,36,200.00
	योग	**2,94,18,291.00**

6. पक्ष को आन्तरिक विकास शुल्क के मद में धनांक रूपये 91,99,125/– प्राधिकरण कोष में जमा करने होंगे यदि पक्ष स्वयं आन्तरिक विकास कार्य करना चाहता है तो उक्त धनराशि रूपये 91,99125/– की बैंक गारण्टी जमा करनी होगी।
7. पक्ष को विभिन्न मदों के अन्तर्गत अवशेष देय धनराशि रू0 2,94,18,291/– प्राधिकरण कोष में 15 दिन के अन्दर जमा कराना होगा। निर्धारित समय में शुल्क प्राधिकरण कोष में न जमा करने पर नियमानुसार ब्याज सहित शुल्क जमा करना पड़ेगा।
8. रेन वाटर हार्वेस्टिंग का प्राविधान करना होगा, इस आशय का शपथ पत्र देना होगा तथा प्राविधान किये जाने हेतु रू0 5,00,000/– की एफ0डी0आर0 उपाध्यक्ष, अलीगढ़ विकास प्राधिकरण, अलीगढ़ के नाम बंधक रखनी होगी जो आर0डब्ल्यू0एच0 का प्राविधान करने के पश्चात मुक्त की जायेगी।
9. प्रस्तावित भवन की भूकम्प से सुरक्षा के संदर्भ में राजकीय इंजीनियरिंग कॉलेज/आईआईटी/विश्वविद्यालय से वेट करा कर स्ट्रक्चरल ड्राइंग एवं डिजाइन प्रस्तुत करना होगा जिसके उपरान्त ही मानचित्र निर्गत किया जा सकेगा।
10. भवन की अग्नि से सुरक्षा के सम्बन्ध में अग्निशमन विभाग से अनापत्ति प्रमाण–पत्र प्राप्त कर प्रस्तुत करना होगा, जिसके उपरान्त ही मानचित्र निर्गत किया जा सकेगा।
11. संरचना सुरक्षा का उत्तरदायित्व स्वयं पक्ष का होगा तथा पक्ष द्वारा संरचना सुरक्षा एवं भूकम्परोधी शासनादेशों का अनुपालन सुनिश्चित करना होगा।
12. ड्राईव–वे की डिजाईन व एक्जिक्यूशन अग्निशमन विभाग के वाहनों के भार वहन क्षमता एवं आवागमन के दृष्टिगत कराया जाना अनिवार्य होगा।

क्रमश......2

13. निर्माण/विकासकर्ता को वर्तमान में निर्मित आवासीय इकाईयों के सापेक्ष ई0डब्ल्यू0एस0/ एल0आई0जी0 भवनों का निर्माण अनिवार्य रूप से करना होगा जिसके उपरान्त ही पूर्णता प्रमाण–पत्र निर्गत किया जा सकेगा एवं भवनों के निर्माण हेतु परफार्मेन्स गारण्टी के रूप में धनराशि रू0 1,69,06,500/– की बैंक गारण्टी जमा करनी होगी अथवा बैंक गारण्टी के स्थान पर योजना के कुल क्षेत्रफल के 10 प्रतिशत भूमि जो विक्रय योग्य हो प्राधिकरण के पक्ष में बन्धक रखे जाने एवं प्रस्तावित निर्माण स्थल की भूमि को भी प्राधिकरण के पक्ष में बन्धक रखना होगा।
14. बाउण्ड्रीबॉल को निर्माण सड़क हेतु आरक्षित भूमि को छोड़कर किया जायेगा तथा निर्मित स्थल कार्यालय/सेल्स ऑफिस को अन्तिम रूप से पूर्णतः प्रमाण–पत्र प्राप्त करने से पूर्व अनिवार्यतः ध्वस्त करना होगा।
15. संदर्भित ग्रुप हाउसिंग भूखण्ड में 50 पेड़ प्रति हैक्टेयर के अनुसार लगाने होंगे।
16. भवन के अध्यासन से पूर्व सम्पूर्ति प्रमाण–पत्र प्राप्त करना आवश्यक होगा एवं सम्पूर्ति प्रमाण– पत्र से पूर्व रेनवाटर हार्वेस्टिंग को क्रियाशील करना होगा एवं समस्त आन्तरिक विकास कार्य पूर्ण करने होंगे।
17. संदर्भित ग्रुण हाउसिंग भूखण्ड में 50 पेड़ प्रति हेक्टेयर व सामुदायिक सुविधा के अन्तर्गत 125 पेड़ प्रति हेक्टेयर के अनुसार लगाने होंगे।
18. ग्रुप हाउसिंग भूखण्ड पर 15 प्रतिशत आवश्यक ग्रीन जन सामान्य हेतु सुरक्षित एवं अनुरक्षित रखनी होगी।
19. भू–स्वामित्व की समस्त जिम्मेदारी पक्ष की होगी। किसी भी वाद–विवाद की स्थिति में स्वीकृत मानचित्र स्वतः निरस्त माना जायेगा।
20. स्ट्रक्चरल डिजाइन/ड्राइंग के प्राविधानों के अनुसार यदि भवन की ऊँचाई में वृद्धि होती है तो आवेदक को ऊँचाई के सापेक्ष सैट बैक छोड़ने होंगे।

25/07/2015

उपाध्यक्ष,
अलीगढ़ विकास प्राधिकरण,
अलीगढ़।